लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 16

02 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

"वस्त्र और परिधान विनिर्माण केंद्र"

16. श्री अनुराग शर्मा:

श्री रेबती त्रिपुरा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष कर पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश में कार्यरत वस्त्र और परिधान केंद्रों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक केंद्र को स्थापित करने की लागत क्या है;

(ख) क्या सरकार वस्त्र क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना लागू कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार परिधान विनिर्माण में परिपक्कवन के लिए कोई योजना क्रियान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में परिधान विनिर्माण और इसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य और कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): सरकार एनईआरटीपीएस के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना क्षमता निर्माण हेतु प्रत्येक अपैरल तथा गारमेंट निर्माण केंद्र हेतु 18.18 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 100 मशीनों वाली 3 इकाइयों के प्रत्येक अपैरल तथा गारमेंट निर्माण केंद्र 100% सरकार द्वारा वित्त पोषण से स्थापित किए गए हैं और ‘प्लग एंड प्ले’ स्वरूप में अपनी इकाइयों को चालू करने के लिए वस्त्र/फैशन की पृष्ठभूमि वाले उद्यमियों को ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	राज्य	जारी निधि
1.	त्रिपुरा	14.6237 करोड़ रुपए
2.	सिक्किम	8.76 करोड़ रुपए

3.	मिजोरम	14.024 करोड़ रुपए
4.	नागालैंड	14.6237 करोड़ रुपए
5.	अरुणाचल प्रदेश	14.6237 करोड़ रुपए
6.	मणिपुर	14.6237 करोड़ रुपए
7.	मेघालय	14.02 करोड़ रुपए
8.	असम	14.6237 करोड़ रुपए

उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा स्थापित कोई अपैरल और गारमेंटिंग विनिर्माण केंद्र नहीं है।

(ख) तथा (ग): प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई), वस्त्र (अपैरल) क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ एक पंजीकृत योजना थी। सरकार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना के लिए नियोक्ता के अंशदान का 8.33% अदा कर रही है। वस्त्र (अपैरल) क्षेत्र हेतु, सरकार पीएमपीआरपीवाई के तहत इन नए कर्मचारियों के लिए पात्र नियोक्ताओं के 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को भी अदा करेगी। यह योजना वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 अर्थात तीन वर्ष के लिए थी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की दिनांक 04.12.2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 01.04.2019 तक पीएमपीआरपीवाई योजना का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

1	पंजीकृत कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या	634611
2	लाभांवित कर्मचारियों की कुल संख्या	269044
3	पंजीकृत स्थापनाओं की कुल संख्या	1055
4	लाभांवित स्थापनाओं की कुल संख्या	802
5	कुल संवितरित सब्सिडी	23,96,73,353 रुपए

(घ): (i) अपैरल निर्माण में उद्यमिता को बढ़ावा देने (ii) अतिरिक्त निर्माण सृजन (iii) अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए एक एकीकृत कार्य स्थल और लिंकेज आधारित उद्यमपरक पारिस्थितिकी का निर्माण करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपैरल विनिर्माण में इन्क्यूबेशन हेतु योजना शुरू की गई थी। इस अवधि के दौरान 3 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी।

1. ग्वालियर में इन्क्यूबेशन केंद्र;

2. भुवनेश्वर में अपैरल विनिर्माण में इन्क्यूबेशन केंद्र

3. पानीपत में अपैरल विनिर्माण में इन्क्यूबेशन केंद्र

(ङ): देश में अपैरल निर्माण और इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार है:-

(i) मानव निर्मित फाइबर, अपैरल और फैब्रिक्स तथा तकनीकी वस्त्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना वर्ष 2021-22 में शुरू की गई है। इससे अधिसूचित उत्पाद के निर्माण के लिए 19000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है और यह 7.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम होगी।

(ii) देश में 7 मेगा वस्त्र विनिर्माण पार्क स्थापित करने के लिए पीएम-मित्र पार्क योजना भी वर्ष 2021-22 में शुरू की गई है। इससे लॉजिस्टिक लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र निर्माण की प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। एक बार इस तरह के एक पार्क के पूरा होने के बाद 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।

(iii) वस्त्र उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने और शून्य रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 14 जुलाई, 2021 को परिधान/गारमेंट्स (अध्याय-61 और 62) और मेड-अप्स (अध्याय-63) के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट दिनांक 31 मार्च, 2024 तक जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। आरओएससीटीएल के तहत कवर नहीं होने वाले अन्य वस्त्र उत्पाद (अध्याय 61, 62 और 63 को छोड़कर), यदि कोई हैं, तो ये आरओडीटीईपी के तहत अन्य उत्पादों के साथ लाभांवित होने के लिए पात्र होंगे।

(iv) इसके अलावा, सरकार वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (एटीयूएफएस), एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) आदि जैसी योजनाएं भी चला रही है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 732

सोमवार, 7 फरवरी, 2022 / 18 माघ, 1943 (शक)

पेंशन के संबंध में कोश्यारी समिति की सिफारिश

732. डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्रीमती अपरूपा पोद्दार:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावित:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोश्यारी समिति ने ईपीएस-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को मूल्य सूचकांक के प्रभाव से बचाने के लिए मंहगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों के कब तक लागू होने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कोश्यारी समिति ने वर्ष 2013 में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने तथा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के सदस्यों के लिए सरकार का अंशदान 1.16% से बढ़ाकर

कम-से-कम 8.33% करने की भी सिफारिश की थी। सरकार ने पहली बार, वर्ष 2014 में, बजटीय सहायता उपलब्ध कराकर ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनधारकों को 1000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन उपलब्ध कराई थी, जो ईपीएस के निमित वार्षिक रूप से उपलब्ध मजदूरी के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। वर्ष 2021-22 के लिए, न्यूनतम पेंशन तथा सरकार के अंशदान के रूप में मजदूरी के 1.16% भाग के लिए 7364 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ग): ईपीएस, 1995 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि एक स्व-वित्तपोषित निधि है। ईपीएस, 1995 के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय निगरानी समिति (एचईएमसी) गठित की गई थी तथा समिति ने मासिक पेंशन को निर्वाह सूचकांक की लागत के साथ किसी प्रकार से जोड़ने की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि इससे कर्मचारी पेंशन निधि के वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसा कि ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा मूल्यांकन किया गया था। तथापि, एचईएमसी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, सरकार ने ईपीएस, 1995 के पूर्वगत पैरा 12ए के अंतर्गत दिनांक 25.09.2008 को या इससे पहले पेंशन के संराशीकरण का लाभ प्राप्त कर चुके सदस्यों के संबंध में ऐसे संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष की समाप्ति के बाद सामान्य पेंशन की बहाली के लिए दिनांक 20.02.2020 के सा.का.नि 132(अ.) के माध्यम से अपना निर्णय अधिसूचित किया है।

(घ) और (ङ): आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) एक पात्रता आधारित योजना है तथा लाभार्थी परिवार ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशिष्ट वंचन मानदण्ड तथा शहरी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक मानदण्ड का प्रयोग करके सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना डेटाबेस से लिए जाते हैं।

तथापि, ईपीएस पेंशनधारकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ईपीएस, 1995 में कोई प्रावधान नहीं है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 737

सोमवार, 07 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)

संगठित /असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी

737. श्री डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद:
श्री रतन लाल कटारिया:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संगठित /असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में असंगठित रोजगार सख्त श्रम कानूनों के कारण है, और यदि हां, तो संविदा श्रम अधिनियम सहित श्रम कानूनों में सुधार के लिए उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असंगठित क्षेत्र के कामगार ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से उक्त सुरक्षा एवं रोजगार आधारित योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के तहत महिला कामगारों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से उन लोगों का आयु-समूह-वार विवरण प्रदान कर सकती है जिन्होंने अपना पंजीकरण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, वर्ष 2017-18 में संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित संख्या क्रमश: 9.05 और 38.07 करोड़ थी।

(ख): मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के दृष्टिगत श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 में शामिल 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों को सम्मिलित करते हुए चार श्रम संहिताओं का अधिनियमन किया है।

ये संहिताएं मौजूदा 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों का सरलीकरण, आमेलन और युक्तिकरण करने के बाद तैयार की गई हैं, जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा संरक्षण और स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में असंगठित कामगारों सहित श्रमिकों को उपलब्ध संरक्षण को सशक्त करेंगी।

उपर्युक्त चार संहिताओं में परिभाषाओं, प्राधिकरणों की बहुलता, एकाधिक दस्तावेजों, लाइसेंसों, पंजीकरण, रजिस्टरों में कमी करने और औचित्यकरण करने तथा ऐसी प्रौद्योगिकी आरंभ करने की परिकल्पना है जो कार्यान्वयन और प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाएगी। ये संहिताएं वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप हैं तथा कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यवसाय करने की सुगमता/उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाएंगी तथा रोजगार के अवसरों के सृजन में सहायक होंगी।

(ग) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारम्भ किया था। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आधार के साथ पंजीकृत असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना तथा महिला कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की प्रदानगी को सुविधाजनक बनाना है। महिला कामगारों सहित सभी पात्र पंजीकृत असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जैसे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से एक वर्ष के लिए 2.0 लाख रुपये का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा कवर। ईश्रम पर पंजीकृत कामगारों को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (पीएम-एसवाईएम) और एनपीएस-व्यापारी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। दिनांक 01.02.2022 की स्थिति के अनुसार, ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का आयु समूह-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

18-40 वर्ष	40-50 वर्ष	50 वर्ष से अधिक
15,33,25,702	5,42,33,582	3,25,04,425

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 769

सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

769. सुश्री सुनीता दुग्गलः

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरः

श्री थोमस चाज़िकाडनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2014 से देश में महिला कार्यबल की भागीदारी के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पुरुष कर्मचारियों की तुलना में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में महिला कर्मचारियों की भागीदारी कितनी है;

(ग) क्या सरकार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में महिला कार्यबल की भागीदारी में कमी आई है, यदि हां, तो देश में महिला कार्यबल और महिला उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और केरल में वर्ष 2014 से बेरोजगार रहने वाली महिलाओं के आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने हाल के सर्वेक्षण पर गौर किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि आधार वर्ष 2013-14 के आधार पर महिला कामगारों की संख्या में कमी आई है, यदि हां, तो महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि के लिए इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): रोजगार-बेरोजगारी पर श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	**डब्ल्यूपीआर (% में)**	
	पुरुष	**महिला**
2016-17	74.3	25.2
2015-16	73.3	25.8

बाद में, रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार/बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार हैः

पीएलएफएस	डब्ल्यूपीआर (% में)	
	पुरुष	महिला
2017-18	71.2	22.0
2018-19	71.0	23.3
2019-20	73.0	28.7

इसके अतिरिक्त, केरल राज्य में 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित महिला बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष (सर्वेक्षण)	केरल
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	24.5%
2016-17 (श्रम ब्यूरो)	21.7%
2017-18 (पीएलएफएस)	23.2%
2018-19 (पीएलएफएस)	17%
2019-20 (पीएलएफएस)	15.1%

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं।

खुली खदान सहित भूमि के ऊपरी खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और जमीन के नीचे की खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी गई है जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है जो व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 851

सोमवार, 07 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)

कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर

851. श्री राजू बिष्ट:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं हैं; और

(ख) देश में सभी कामगारों के लिए शत प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कदम/नीतियां क्या हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सरकार ने कामगारों को बीमारी, प्रसूति और रोजगार जनित चोट के मामले में कुछ लाभ प्रदान करने और इससे संबंधित मामलों के लिए उपबंध करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 को अधिनियमित किया गया है। अधिनियम के तहत् बीमित व्यक्ति और उनके परिवार चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, 3.39 करोड़ कामगार तथा उनके परिवार इस योजना शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) , जो वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से चिन्हित किए गए मानदंड के अनुसार पात्र कामगारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संबंधित अस्पताल में भर्ती हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है के तहत पात्र कामगार तथा उनके परिवार चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 01.02.2022 की स्थिति के अनुसार कुल 17.58 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुआ है।

****

भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 919

उत्तर देने की तारीख 07 फरवरी, 2022

सोमवार, 18 माघ, 1943 (शक)

विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित निधि

†919 श्री संगम लाल गुप्ता: श्री पी.पी. चौधरी:
श्री सुनील कुमार सिंह: डॉ. अमर सिंह:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब को आवंटित धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किसी समिति का गठन किया है ताकि छात्र स्थापित किए गए केंद्रों से पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद नौकरी के योग्य बन सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कौशल विकास और उद्यमिता योजना के तहत राजस्थान में नियोजित व्यक्तियों की जिले-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कुशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर के युवाओं को विभिन्न स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के माध्यम से कौशल प्रदान कर रहा है। पीएमकेवीवाई के सीएससीएम घटक, जेएसएस, एनएपीएस और आईटीआई के तहत कोई राज्य-वार फंड आवंटन नहीं है। तथापि, पीएमकेवीवाई के सीएसएसएम घटक के तहत राज्यों को निधियां आवंटित/जारी की जाती हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमकेवीवाई (सीएसएसएम), जेएसएस और आईटीआई के तहत राज्य-वार खर्च की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ग) पीएमकेवीवाई के सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों की प्रभावी ढंग से निगरानी स्व-लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग, कॉल सत्यापन, औचक निरीक्षण जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) हस्तक्षेप सहित विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से निगरानी और कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस), कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्रों का प्रबंधन और प्रत्यायन (स्मार्ट), आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली (एईबीएएस), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आदि जैसे उपायों के

माध्यम से निगरानी की जा रही है। इस स्कीम के तहत पीएमकेवीवाई निगरानी समिति हितधारकों के निगरानी मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करती है और इसकी रूपरेखा तैयार करती है। इसके अलावा, समिति ने चूक करने/अनुपालन नहीं करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों/हितधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दंडात्मक प्रावधान (पीएमकेवीवाई के लिए संचालन समिति द्वारा अनुमोदित) तैयार किया है। दंडात्मक प्रावधान के आधार पर, एमएसडीई के तहत पीएमकेवीवाई की कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने कई मापदंडों पर पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को निलंबित कर दिया है और समय-समय पर पीएमकेवीवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर इनकी सूची प्रकाशित करता है। अब तक, विभिन्न स्थानों पर 306 प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) को निलंबित किया गया है। क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई) लगातार आईटीआई की निगरानी कर रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान निदेशालय समीक्षा बैठकों और ऑनलाइन वेब पोर्टल (jss.gov.in) के माध्यम से जेएसएस स्कीम की निगरानी कर रहा है। ऐसे 4 जेएसएस (जुलाई, 2018 से) के खिलाफ कार्रवाई की गई है, यानी 4 जेएसएस को बंद कर दिया गया है, जिनके पास अद्यतन जानकारी नहीं है या जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसी आधार पर आईटीआई के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। शिक्षुता स्कीम के तहत राज्य शिक्षुता सलाहकार और सहायक शिक्षुता सलाहकार राज्य स्तर पर स्कीम की निगरानी करते हैं। केंद्र सरकार के क्षेत्रीय शिक्षुता सलाहकार भी अनुपालन और प्रशिक्षण गुणवत्ता के लिए इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकते हैं।

(घ) **पीएमकेवीवाई**: पीएमकेवीवाई के तहत, प्रमाणित उम्मीदवारों को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के तहत नियोजन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। चूंकि आरपीएल में श्रमिकों में पहले से मौजूद कौशल के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शामिल है, इसलिए यह (आरपीएल) नियोजन से सम्बद्ध नहीं है; श्रमिकों को पहले से ही नियोजित माना जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में रोजगार पाने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों की जिलेवार संख्या का विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

जेएसएस: जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम के तहत राजस्थान में रोजगार पाने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण **अनुबंध-III** में संलग्न है।

आईटीआई: आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट (कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में प्रकाशित) में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्ण के 63.5% (वेतन रोजगार + स्वरोजगार, जिनमें से 6.7% स्व नियोजित हैं) को रोजगार मिला और 36.4% बेरोजगार रहे और वे नौकरी की तलाश में थे।

एनएपीएस: एनएपीएस में नियोजन की निगरानी नहीं की जाती है।

अनुबंध-I

‘विभिन्न स्कीमों के लिए आवंटित निधि’ के संबंध में 07.02.2022 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 919 के संदर्भ में पैरा (क)

पीएमकेवीवाई: प्रश्न में उल्लिखित राज्यों के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान व्यय की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी निधि				उपयोग की गई निधि			
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
1	झारखंड	-	-	-	-	-	5.08	1.47	3.15
2	पंजाब	-	-	36.00	-	4.59	21.35	14.20	9.30
3	राजस्थान	-	-	12.00	-	1.55	9.89	2.63	4.90
4	उत्तर प्रदेश	-	-	62.95	-	2.54	36.33	13.79	-

*अब तक

जेएसएस: जेएसएस स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रश्न में उल्लिखित राज्यों के लिए जेएसएस को जारी सहायता अनुदान का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22 (नवंबर, 2021 तक)
1	झारखंड	0.83	1.44	1.30	1.09
2	पंजाब	0.61	1.00	0.96	0.25
3	राजस्थान	1.48	2.48	2.50	1.69
4	उत्तर प्रदेश	14.13	22.84	22.04	11.22

आईटीआई: स्कीम की शुरुआत के बाद से मौजूदा सरकारी आईटीआई के मॉडल में उन्नयन के लिए आवंटित कुल निधि:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2018-19 में जारी निधि	वित्त वर्ष 2019-20 में जारी निधि	वित्त वर्ष 2020-21 में जारी निधि	वित्त वर्ष 2021-22 में जारी निधि (नवंबर, 2021 तक)
1	झारखंड	-	-	2.80	-
2	पंजाब	-	-	-	-
3	राजस्थान	-	1.40	-	-
4	उत्तर प्रदेश	2.80	-	-	-
		1.58	-	2.52	-

एनएपीएस के तहत इन 4 राज्यों को कोई निधि जारी नहीं की गई थी।

अनुबंध-II

पीएमकेवीवाई: 2018-19 से 31.12.2021 तक, राजस्थान में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिले-वार रोजगार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या।

ज़िला	**नियोजन रिपोर्ट**
अजमेर	1,958
अलवर	6,683
बांसवाड़ा	1,441
बरन	1,784
बाड़मेर	934
भरतपुर	3,721
भीलवाड़ा	3,018
बीकानेर	2,351
बूंदी	1,896
चित्तौड़गढ़	3,405
चुरू	7,017
दौसा	3,036
ढोलपुर	1,948
डूंगरपुर	923
गंगानगर	5,325
हनुमानगढ़	8,192
जयपुर	12,854
जैसलमेर	1,876
जालौर	1,683
झालावार	1,038
झुंझुनूं	11,445
जोधपुर	1,315
करौली	1,379
कोटा	2,489
नागौर	3,401
पाली	1,298
प्रतापगढ़	839
राजसमंद	1,308
सवाई माधोपुर	896
सीकर	5,637
सिरोही	1,328
टोंक	2,074
उदयपुर	2,756
सकल योग	**1,07,248**

अनुबंध-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान जेएसएस में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें राजस्थान में जिले-वार रोजगार मिला है:

ज़िला	**नियोजन रिपोर्ट**
अजमेर	0
बाड़मेर	0
बीकानेर	0
जयपुर	258
जैसलमेर	0
झालावार	6
कोटा	124
सीकर	7
अजमेर	0
बाड़मेर	0
बीकानेर	153
जयपुर	877
जैसलमेर	0
झालावार	20
कोटा	584
सीकर	259
अजमेर	0
बाड़मेर	0
बीकानेर	813
जयपुर	516
जैसलमेर	0
झालावार	1
कोटा	0
सीकर	214
अजमेर	0
बाड़मेर	0
बीकानेर	152
जयपुर	377
जैसलमेर	0
झालावार	0
कोटा	0
सीकर	0
सकल योग	**4361**

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *121

उत्तर देने की तारीख : 10.02.2022

मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

***121. डॉ. ढालसिंह बिसेन:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): इस समय मध्य प्रदेश में कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कार्यशील है;

(ख): गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिला-वार ऐसे कितने उद्यमों की स्थापना की गई है;

(ग): मुद्रा योजना आरंभ होने के उपरांत मध्य प्रदेश में बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सिवनी तथा बालाघाट जिलों में कितने उद्यम स्थापित किए गए हैं;

(घ): प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (पीएमएबीआरवाई) के अंतर्गत उक्त उद्यमों को संवितरित किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ): प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा सिवनी जिलों में उक्त उद्यमों को संवितरित किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (ङ) : वक्तव्य सदन पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *121 जिसका उत्तर दिनांक 10.02.2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (ड.) में संदर्भित विवरण

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, 1 जुलाई 2020 से 2 फरवरी, 2022 के दौरान मध्य प्रदेश में पंजीकृत वर्गीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल संख्या 3,02,917 थी।

(ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या इस प्रकार थी:

वर्ष	**स्थापित इकाइयों की संख्या**
2019-20	25,790
2020-21	62,845
2021-22*	65,525

* 06.02.2022 तक

विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत जिलेवार इकाइयां अनुबंध-I पर संलग्न हैं।

मध्य प्रदेश में विगत 3 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत स्थापित इकाइयों की संख्या इस प्रकार थी:

वर्ष	**स्थापित इकाइयों की संख्या**
2019-20	2,175
2020-21	4,854
2021-22*	3,940

*04.02.2022 तक

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पीएमईजीपी के तहत स्थापित जिलेवार इकाइयों की संख्या अनुबंध-II पर संलग्न हैं।

(ग) : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2021 तक मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट जिलों में संस्वीकृत ऋणों की संख्या और राशि निम्नानुसार है:

जिला	**संस्वीकृत ऋणों की संख्या**	**संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)**
सिवनी	2,70,460	1,154.21
बालाघाट	3,53,501	1,640.72

(घ) और (ङ) : 29.01.2022 तक, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (पीएमएबीआरवाई) के तहत बालाघाट, सिवनी और मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठानों को संवितरित राशि इस प्रकार है:

	29.01.2022 तक संवितरित की गई राशि (करोड़ रुपए में)
मध्य प्रदेश	135.91
सिवनी	0.28
बालाघाट	0.30

***

अनुबंध I

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *121 जिसका उत्तर दिनांक 10.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध।

मध्य प्रदेश में 2019-20 से 2021-22 के दौरान उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर प्रयुक्त पंजीकृत कुल एमएसएमई इस प्रकार हैं

क्र.सं.	जिला	2019-20	2020-21	2021-22*
1	आगर मालवा	152	278	452
2	अलिराजपुर	75	239	236
3	अनूपपुर	186	443	442
4	अशोकनगर	140	468	616
5	बालाघाट	635	1696	1890
6	बड़वानी	292	744	1085
7	बेतुल	593	925	1280
8	भिंड	215	895	1056
9	भोपाल	2402	4947	3410
10	बुरहानपुर	183	595	580
11	छतरपुर	382	815	792
12	छिंदवाड़ा	771	1592	1929
13	दमोह	191	727	854
14	दतिया	125	458	481
15	देवास	623	1315	1596
16	धार	658	1380	1724
17	डिंडोरी	156	325	371
18	गुना	377	1306	1161
19	ग्वालियर	1358	4460	3233
20	हरदा	183	323	349
21	होशंगाबाद	406	823	806
22	इंदौर	3641	7404	6778
23	जबलपुर	1239	2752	2691
24	झाबुआ	204	587	636
25	कटनी	336	977	1228
26	खरगोन	415	1062	1543
27	खंडवा (पूर्वी निमाड़)	295	541	713
28	मंडला	197	713	872
29	मन्दसौर	760	1099	1337
30	मुरैना	346	1201	1335
31	नरसिंहपुर	286	964	1039
32	नीमच	393	730	674
33	निवारी	14	30	120
34	पन्ना	172	682	774
35	रायसेन	495	933	805
36	राजगढ़	469	999	1356
37	रतलाम	574	1165	1703
38	रीवा	643	2753	2546

39	सागर	663	1544	1588
40	सतना	623	2135	1870
41	सीहोर	561	1258	1625
42	सिवनी	416	907	1059
43	शहडोल	254	863	765
44	शाजापुर	399	710	722
45	श्योपुर	70	216	241
46	शिवपुरी	260	820	844
47	सीधी	149	676	770
48	सिंगरौली	270	876	869
49	टीकमगढ़	209	396	508
50	उज्जैन	829	1878	2605
51	उमरिया	74	176	295
52	विदिशा	431	1044	1271
	कुल:-	**25,790**	**62,845**	**65,525**

* 06.02.2022 **तक**

अनुबंध II

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *121 जिसका उत्तर दिनांक 10.02.2022 को दिया जाना है के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध।

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 2019-20 से 2021-22(04.02.2022 तक) के दौरान स्थापित जिलेवार इकाइयां				
क्र.सं.	**जिला**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (04.02.2022 तक)**
1	आगर मालवा	15	42	57
2	अलिराजपुर	66	111	81
3	अनूपपुर	32	25	22
4	अशोक नगर	19	59	49
5	बड़वानी	34	80	49
6	बालाघाट	**82**	**209**	**151**
7	बेतुल	62	155	84
8	भिंड	30	71	58
9	भोपाल	44	100	110
10	बुरहानपुर	43	101	48
11	छतरपुर	20	58	42
12	छिंदवाड़ा	75	111	71
13	दमोह	44	56	46
14	दतिया	25	76	54
15	देवास	48	105	85
16	धार	84	113	103
17	डिंडोरी	27	95	50
18	गुना	8	79	45
19	ग्वालियर	36	99	123
20	हरदा	26	74	52
21	होशंगाबाद	19	76	59
22	इंदौर	41	225	196
23	जबलपुर	70	137	108
24	झाबुआ	22	115	97
25	कटनी	7	60	40
26	खंडवा (पूर्वी निमाड़)	34	101	92
27	खरगोन	65	167	168
28	मंडला	17	77	51
29	मंदसौर	46	132	135
30	मुरैना	13	44	73
31	नरसिंहपुर	293	202	209
32	नीमच	42	73	54
33	पन्ना	28	63	49
34	रायसेन	26	108	56
35	राजगढ़	81	158	140

36	रतलाम	44	80	52
37	रीवा	45	172	152
38	सागर	54	79	73
39	सतना	43	95	63
40	सीहोर	33	70	57
41	सिवनी	**26**	**58**	**40**
42	शहडोल	16	59	42
43	शाजापुर	42	88	74
44	श्योपुर	27	58	38
45	सीधी	39	88	67
46	सिंगरोली	27	63	57
47	सिवपुरी	22	76	47
48	टीकमगढ़	44	115	86
49	उज्जैन	37	52	64
50	उमरिया	18	48	31
51	विदिशा	26	56	67
52	निवारी	8	40	23
	कुल	**2,175**	**4,854**	**3,940**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1888

सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन

1888. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:
श्री रवनीत सिंह:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
श्री रोड़मल नागर:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री वाई.एस.अविनाश रेड्डी:
श्री वी.के.श्रीकंदन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ईपीएफओ के अन्तर्गत कवर किए गए संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों, जो मूल वेतन के रूप में 15000/- रूपये से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, के लिए पेंशन शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त योजना से पेंशनभोगियों को मिलने वाले लाभों के साथ उक्त योजना की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईपीएफओ के सदस्यों में उच्च अंशदान पर उच्च पेंशन की मांग की गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों के लाभार्थ अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत अधिक पेंशन देने का मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, ऑनलाइन दावे का निपटान, ई-नामांकन का प्रावधान, सेवानिवृत्ति की तारीख पर पेंशन दावों का निपटान और पेंशन अदालतों का आयोजन शामिल है।

****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1971

(जिसका उत्तर सोमवार, 14 मार्च, 202 2/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना"

1971. श्रीमती केशरी देवी पटेलः
श्री कनकमल कटाराः
सुश्री देबाश्री चौधरीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर सहित राजस्थान को जारी की गई धनराशि के साथ-साथ पीएमजीकेवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष तथा माह-वार एवं राज्य-वार लक्ष्य क्या हैं;

(ग) उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की माह और वर्ष-वार और राज्य-वार सख्या कितनी है और सरकार द्वारा इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(घ) क्या कई समुदायों के परिवार विकास का लाभ प्राप्त करने में या आजादी के पचहत्तर वर्ष बाद भी स्वयं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में विफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त परिवारों की पहचान करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रयागराज जिले सहित पूरे उत्तर प्रदेश में चिह्नित उक्त वंचित परिवारों की सूची और उक्त परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): जी, हां। सरकार ने कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए दिनांक 26.3.2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की घोषणा की थी। पीएमजीकेपी ने समाज के हर वर्ग को शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम-किसान, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के मौजूदा लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य

सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का एक व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और सभी महिला पीएम जन धन योजना खाताधारकों को 3 महीने के लिए प्रति माह 500 रुपये का अनुग्रह भुगतान किया गया था। इस पैकेज के तहत लाभ राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों सहित सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया गया था।

पीएमजीकेपी के विवरण और उसमें दिए गए राज्य-वार लाभों को दर्शाने वाले विवरण क्रमशः **अनुबंध-I और II** में दिए गए हैं।

सरकार समय-समय पर नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और कल्याणकारी मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की घोषणा करती है, जो स्थिति के समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि क्या इन योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ देश के सभी क्षेत्रों और समाज के चिह्नित लाभार्थियों/वर्गों तक पहुंचता है।

****

अनुबंध-I

दिनांक 14.03.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1971 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की विशेषताएं

I. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ा और जिन्हें इससे प्रभावित होने का खतरा हो सकता है सहित लगभग 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए की व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए दिनांक 30.03.2020 से सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों हेतु बीमा योजना शुरू की गई थी। अभूतपूर्व स्थिति के कारण, निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वायत्त अस्पतालों, केंद्रीय मंत्रालयों के एम्स और आईएनआई/अस्पतालों में कोविड-19 से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। बीमा नीति की समय सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है, दिनांक 21.10.2021 से अंतिम विस्तार 180 दिन की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

II. लक्षित सार्वजनिक संवितरण प्रणाली (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों) के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन निशुल्क प्रदान किया गया था जिसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल से नवंबर, 2020 तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक परिवार को तीन महीने के लिए निःशुल्क @ 1 किलो दलहन भी प्रदान की गई। इस योजना को नवंबर, 2020 तक 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। वर्ष 2021 में, देश भर में चल रही गंभीर कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण भारत सरकार ने मई, 2021 से नवंबर, 2021 तक प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न देने की घोषणा की है। इसे फिर से मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

III. **किसानों को लाभ:** वर्ष 2020-21 में देय 2,000 रुपये की पहली किस्त का भुगतान अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के तहत किया गया था, जिसमें लगभग 8.7 करोड़ किसान शामिल थे।

IV. नकद अंतरण-

क) **गरीबों को मददः** कुल 20.40 करोड़ (लगभग) पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को तीन महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि दी गई थी।

ख) **गैस सिलेण्डरः** कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत 3 (तीन) निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने वाली योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के अंतर्गत दिनांक 01.04.2020 से शुरु किया गया था। यह योजना दिनांक 31.12.2020 तक वैध थी।

ग) **संगठित क्षेत्रों में कम वेतन पाने वालों को मदद:** 100 से कम कर्मचारियों वाले व्यवसायों में 15,000 रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले कर्मचारियों को तीन महीने के लिए मासिक वेतन का चौबीस (24) प्रतिशत उनके पीएफ खातों में प्रदान किया गया था ताकि उनके रोजगार में व्यवधान न हो। इस योजना को अगले तीन महीने के लिए, अर्थात् अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

घ) **वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक), विधवाओं और दिव्यांगजनों को सहायता:** लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं और दिव्यांगजनों को 1000/- रुपये की राशि प्रदान की गई।

V. **मनरेगाः** मनरेगा मजदूरी में 1 अप्रैल, 2020 से 20 रुपये की वृद्धि की गई थी। एक कर्मचारी को वार्षिक 2000 रुपए का लाभ अतिरिक्त प्रदान करने के लिए मजदूरी में बढ़ोत्तरी की गई थी। जिससे 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।

VI.**स्वयं-सहायता समूह:** 63 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। जिससे 6.85 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

VII. पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटकः

क) कर्मचारियों के भविष्य निधि विनियमनों में महामारी को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है, ताकि खातों से राशि का 75 प्रतिशत या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, की गैर-चुकौती योग्य अग्रिम की अनुमति दी जा सके।

ख) राज्य सरकारों को निधि में पंजीकृत लगभग 3.5 करोड़ कर्मचारियों को आर्थिक व्यवधानों से बचाने के लिए सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत गठित 'भवन और अन्य निर्माण कार्य श्रमिकों की कल्याण निधि' के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग करने के लिए निदेश दिया गया था।

ग) राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के साथ ही इस महामारी से प्रभावित मरीजों का इलाज करने के लिए चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं की सुविधाओं को पूरा करने और उसे बढ़ाने के लिए जिला खनिज निधि (डीएमएफ) के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग करने के लिए कहा गया था।

अनुबंध II

दिनांक 14.03.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1971 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

		पीएमजीएवाई (अप्रैल-नवम्बर 2020)		पीएमजीएवाई दलहन/चना (अप्रैल-नवम्बर 2020)		पीएमजीएवाई III मई, 21 से जून, 21		पीएमजीएवाई IV जुलाई, 21 से नवम्बर, 21		पीएमजीएवाई V दिसम्बर, 21 से जनवरी, 22		उज्ज्वला		पीएमजेडीवाई		ईपीएफ का 24%		एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	
सं.	राज्य	खाद्यान्न की मात्रा (एमटी)	लाभार्थी	दलहन/चना की मात्रा (एमटी)	लाभार्थी	संवितरित मात्रा (एमटी)	शामिल लाभार्थियों की संख्या (औसतन)	संवितरित मात्रा (एमटी)	शामिल लाभार्थियों की संख्या (औसतन)	संवितरित मात्रा (एमटी)	शामिल लाभार्थियों की संख्या (औसतन)	अग्रिम या प्रतिपूर्ति के लिए रिफिल संवितरण	अंतरित राशि (लाख में)	खातों में जमा	अंतरित राशि (लाख में)	लाभार्थी	राशि (रुपए लाख में)	कुल लाभार्थी	अंतरित राशि (लाख में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,383	59,100	122	16,350	571	57,100	1420.2638	56,810.55	551.55	55,155.00	22,354	157.3	23,064	346.0	3,238.00	155.91	5,928	59.3
2	आंध्र प्रदेश	9,95,500	2,61,12,304	66,492	90,28,190	2,55,687	2,55,68,719	605239.55	2,42,09,582.00	2,53,334.01	2,53,33,401.00	7,62,204	5,163.2	60,13,565	90,203.5	1,85,152.00	11,651.14	9,32,661	9,326.6
3	अरुणाचल प्रदेश	30,642	7,98,490	1,034	1,77,210	8,094	8,09,380	15837.491	6,33,499.64	6,074.33	6,07,433.00	76,831	518.1	1,80,119	2,701.8		0.00	34,139	341.4
4	असम	9,77,964	2,48,73,000	45,456	57,86,440	2,47,225	2,47,22,480	594621.8	2,37,84,872.00	2,36,292.47	2,36,29,247.00	52,88,902	36,257.4	95,34,385	1,43,015.8	9,772.00	252.73	8,40,984	8,409.8
5	बिहार	31,47,508	8,11,39,356	1,20,112	1,43,33,767	8,18,441	8,18,44,051	2067339.46	8,26,93,578.40	7,40,700.68	7,40,70,067.86	1,54,12,430	1,11,170.7	2,33,15,732	3,49,736.0	67,545.00	4,287.92	36,64,811	36,648.1
6	चंडीगढ़	10,167	2,59,080	486	63,670	2,460	2,46,000	6323.175	2,52,927.00	-	-	246	1.6	1,10,537	1,658.1	23,805.00	2,034.29	3,415	34.2
7	छत्तीसगढ़	7,89,804	1,94,31,064	39,632	51,49,800	1,98,880	1,98,88,006	489722.95	1,95,88,918.00	1,93,621.44	1,93,62,144.00	42,22,762	32,416.0	78,57,012	1,17,855.2	84,417.00	6,404.33	8,52,275	8,522.8
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,568	2,58,328	519	65,240	2,530	2,52,957	6409.39	2,56,375.60	2,546.86	2,54,686.00	25,694	169.2	70,204	1,053.1		0.00	10,964	109.6
9	दिल्ली	2,72,775	6284047	13,690	17,54,513	72,627	72,62,700	177453.74	70,98,149.60	69,421.00	69,42,100.00	1,96,011	1,262.8	20,30,271	30,454.1	41,521.00	3,642.58	1,56,436	1,564.4
10	गोवा	20,585	5,14,412	1,066	1,42,550	5,201	5,20,079	13118.78	5,24,751.20	5,299.64	5,29,964.00	2,119	14.3	69,987	1,049.8	16,563.00	1,265.92	2,061	20.6
11	गुजरात	12,76,713	31784856	50,026	65,09,333	3,27,197	3,27,19,703	823985	3,29,59,400.00	3,26,770.10	3,26,77,010.00	49,38,563	32,592.2	71,08,005	1,06,620.1	2,70,988.00	18,510.49	6,88,953	6,889.5
12	हरियाणा	4,50,912	1,11,90,324	18,812	24,27,333	1,13,473	1,13,47,309	281344.31	1,12,53,772.40	95,254.53	95,25,453.00	15,15,725	9,902.1	34,16,299	51,244.5	83,035.00	6,403.61	3,27,269	3,272.7
13	हिमाचल प्रदेश	1,06,429	27,72,352	4,790	6,73,667	26,810	26,81,044	69158.151	27,66,326.04	26,788.22	26,78,822.00	2,92,437	1,964.5	5,84,184	8,762.8	48,762.00	3,629.35	1,11,863	1,118.6
14	जम्मू और कश्मीर	2,82,312	69,15,000	13,208	16,44,090	62,481	62,48,145	149106.83	59,64,273.20	52,982.66	52,98,266.00	20,17,863	14,573.5	10,49,256	15,738.8	43,121.00	2,055.78	143289 (लद्दाख सहित)	1,432.9
15	झारखंड	8,83,433	2,40,94,622	44,593	57,11,600	2,47,055	2,47,05,515	619781.44	2,47,91,257.60	2,40,615.39	2,40,61,539.00	53,78,043	37,520.2	72,27,042	1,08,405.6	1,05,631.00	7,666.54	12,88,850	12,888.5
16	कर्नाटक	15,41,056	3,86,45,940	80,975	1,27,22,730	3,78,032	3,78,03,234	941549.87	3,76,61,994.80	3,81,168.09	3,81,16,809.00	57,16,148	37,831.3	79,87,088	1,19,806.3	3,19,389.00	24,924.83	13,98,410	13,984.1
17	केरल	5,87,791	1,49,27,032	27,956	35,91,483	1,45,857	1,45,85,673	355259.79	1,42,10,391.60	1,46,066.23	1,46,06,623.00	5,11,674	3,323.1	24,13,289	36,199.3	1,21,319.00	9,250.22	6,88,329	6,883.3
18	लद्दाख	5,645	1,41,480	233	29,008	1,374	1,37,420	3397.884	1,35,915.36	818.89	81,889.00	19,175	165.7	9,951	149.3	247.00	21.08	ऊपर जम्मू-कश्मीर में शामिल	ऊपर जम्मू-कश्मीर में शामिल
19	लक्षद्वीप	864	21,800	39	5,200	220	22,013	533.06	21,322.40	208.95	20,895.30	521	3.5	2,867	43.0		0.00	324	3.2
20	मध्य प्रदेश	18,00,437	4,93,09,348	77,890	96,95,633	4,55,960	4,55,95,989	1155109.03	4,62,04,361.20	4,60,277.21	4,60,27,721.00	1,13,69,027	77,377.9	1,66,22,091	2,49,331.4	1,69,059.00	10,711.54	22,05,963	22,059.6
21	महाराष्ट्र	25,27,129	6,82,50,268	1,03,643	1,32,15,103	6,36,508	6,36,50,778	1553932.56	6,21,57,302.40	5,25,106.13	5,25,10,613.00	76,29,148	50,512.8	1,29,47,062	1,94,205.9	4,76,836.00	31,528.87	11,68,385	11,683.9
22	मणिपुर	90,747	20,47,906	4,192	5,87,503	17,077	17,07,669	36544.71	14,61,788.40	16,162.54	16,16,254.00	2,76,621	2,119.6	5,04,169	7,562.5		0.00	61,972	619.7
23	मेघालय	85,803	21,45,145	3,145	4,21,503	20,226	20,22,623	47692.79	19,07,711.60	17,662.55	17,66,255.00	2,01,679	1,408.4	2,68,908	4,033.6	73,342.00	2,224.82	54,127	541.3
24	मिजोरम	25,288	6,62,132	1,243	1,55,405	6,122	6,12,198	16609.13	6,64,365.20	6,384.96	6,38,496.00	55,281	419.7	58,176	872.6		0.00	27,538	275.4
25	नगालैंड	53,964	14,04,600	2,276	2,84,940	13,500	13,50,000	23592.29	9,43,691.60	8,487.33	8,48,733.00	90,537	592.6	1,57,792	2,366.9		0.00	49,210	492.1
26	उड़ीसा	12,06,580	2,88,37,690	74,941	95,19,513	3,10,900	3,10,89,967	767817.06	3,07,12,682.40	2,13,890.11	2,13,89,011.00	83,72,979	57,172.5	81,21,020	1,21,815.3	1,62,121.00	10,148.60	20,27,022	20,270.2
27	पुदुचेरी	23,211	5,97,945	1,273	1,78,500	6,069	6,06,935	12773.481	5,10,939.24	-	-	31,184	202.6	83,926	1,258.9	16,456.00	1,011.52	28,757	287.6
28	पंजाब	5,33,154	1,33,65,720	27,751	35,47,747	1,36,328	1,36,32,800	353785	1,41,51,400.00	-	-	24,53,435	16,350.8	33,22,186	49,832.8	79,150.00	5,054.89	1,40,404	1,404.0
29	राजस्थान	17,52,646	4,44,44,332	75,043	99,94,240	4,20,133	4,20,13,322	1032471.38	4,12,98,855.20	3,72,046.60	3,72,04,660.00	1,11,36,139	73,857.8	1,56,13,962	2,34,209.4	1,23,266.00	7,946.42	9,87,781	9,877.8
30	सिक्किम	14,479	3,65,120	614	93,817	3,710	3,70,980	9240.8	3,69,632.00	914.23	91,423.00	21,313	165.3	42,552	638.3		0.00	18,332	183.3
31	तमिलनाडु	12,31,653	2,97,45,840	33,324	1,11,07,920	3,14,057	3,14,05,694	806949.42	3,22,77,976.80	2,24,440.08	2,24,44,008.00	61,90,878	41,390.2	60,75,989	91,139.8	5,81,768.00	34,570.97	18,14,700	18,147.0
32	तेलंगाना	7,24,662	1,80,62,980	15,804	52,68,030	1,84,869	1,84,86,855	438229.63	1,75,29,185.20	1,76,184.01	90,01,452.00	18,75,380	13,036.0	52,60,800	78,912.0	1,78,225.00	10,233.62	6,65,956	6,659.6
33	त्रिपुरा	94,893	23,73,722	4,420	5,40,847	24,242	24,24,161	60472.516	24,18,900.64	24,095.87	24,09,587.00	4,49,580	3,746.8	4,31,770	6,476.6		0.00	1,38,473	1,384.7
34	उत्तर प्रदेश	56,16,735	14,19,99,424	2,69,530	3,34,08,790	14,14,907	14,14,90,661	3520779.37	14,08,31,174.80	13,99,408.91	13,99,40,890.70	2,70,88,702	1,81,728.1	3,18,13,530	4,77,203.0	2,30,453.00	15,741.60	52,57,390	52,573.9
35	उत्तराखंड	2,37,842	58,95,600	10,736	13,44,657	59,400	59,39,990	114840.18	45,93,607.20	37,791.62	37,79,162.00	7,63,126	5,015.5	12,67,372	19,010.6	41,863.00	3,234.58	2,15,109	2,151.1
36	पश्चिम बंगाल	23,39,724	5,83,10,164	91,452	1,40,19,333	5,87,047	5,87,04,738	1455652.16	5,82,26,086.40	5,20,982.10	5,20,98,210.00	1,72,98,898	1,16,938.4	1,89,95,377	2,84,930.7	4,28,442.00	21,132.39	21,32,959	21,329.6
	कुल	**2,97,51,729**	**75,80,40,523**	**13,26,516**	**18,32,15,657**	**75,25,269**	**75,25,26,888**	18628094.44	74,51,23,777.67	67,82,349.29	66,96,17,979.86	14,17,03,609	9,67,041	**20,65,00,000**	30,97,500.0	**39,85,486.00**	**2,55,696.54**	**2,81,45,039**	**2,81,450**

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1959
सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

1959. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की विशेषताएं क्या हैं;
(ख) गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में इस योजना के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के तहत नामांकित लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) इस योजना के तहत अब तक लाभान्वित हुए लोगों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या इसने सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-**19** महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, वे भी लाभ के लिए पात्र हैं।

- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान 2 वर्ष के लिए वहन कर रही है।

- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी।

(ख) से (ङ): एबीआरवाई के तहत, निधियों का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं है। इस योजना के तहत सभी पात्र प्रतिष्ठानों को लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत इसकी शुरूआत से अब तक तमिलनाडु राज्य में उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभ की राशि (करोड़ रुपये में)
2020-21	38.92
2021-22 (28.02.2022 को)	412.14

एबीआरवाई के तहत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लाभार्थी के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। इस योजना के तहत 28.02.2022 को 50.81 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। यह योजना 31.03.2022 तक पंजीकरण के लिए खुली है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2024

सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

ईपीएफ के अंतर्गत कर्मचारियों का अंशदान

2024. श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यथाविहित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन से योगदान का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार उक्त योगदान में कोई बदलाव लाने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के माध्यम से कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत किसी कवर किए गए प्रतिष्ठान का कोई कर्मचारी जो मूल वेतन, मंहगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता,यदि कोई हो, शामिल करते हुए 15,000/- रुपये तक मासिक वेतन का आहरण करता है तो उसके लिए इस निधि में शामिल होना और मजदूरी के 12 प्रतिशत का अंशदान करना सांविधिक रुप से आवश्यक है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 सहित 9 केन्द्रीय श्रम विधानों को शामिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) को 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया था । उक्त संहिता की धारा 16 के अंतर्गत एक उपबंध मौजूद है जो केन्द्र सरकार को अधिसूचना द्वारा कर्मचारियों के किसी वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अवधि हेतु कर्मचारियों के अंशदान की विभिन्न दरों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है । तथापि, उक्त संहिता अभी लागू नहीं हुई है।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 का सदस्य उक्त योजना में निहित उपबंधों के अनुसार ईपीएफ से निकासी एवं अग्रिम का लाभ लेने का पात्र है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को अप्रतिदेय अग्रिम की अनुमति देने के लिए उपबंध को अंतस्थापित करते हुए इस योजना को मार्च, 2020 में संशोधित किया गया था। इस उपबंध में ईपीएफ सदस्यों को उनके ईपीएफ खातों से शेष राशि के 75 प्रतिशत अथवा 3 माह की मजदूरी, जो भी कम हो, तक निकासी करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे ईपीएफ सदस्य जिन्होंने प्रथम कोविड-19 अग्रिम प्राप्त कर लिया हो, वे दूसरे अग्रिम का विकल्प भी दे सकते हैं। कोई सदस्य प्रत्येक वर्ष अपने भविष्य निधि संचय पर ब्याज प्राप्त करने का भी हकदार है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सभी प्रकार के भविष्य निधि दावों के त्वरित निपटान हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i) पिछले पीएफ खातों के समेकन तथा नियोजन के परिवर्तन के मामले में सुवाह्यता के लिए भविष्य निधि के सदस्यों को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) आबंटित करना।
ii) दावों के निर्बाध अंतरण को सुकर बनाने के लिए ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल (ओटीसीपी) प्रारंभ किया गया है।
iii) ऐसे अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करने का विकल्प शुरू किया गया है जिन्होंने अपना केवाईसी यूएएन के साथ सहबद्ध कर लिया है।
iv) कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की सेवाओं का भी एकीकरण किया गया है तथा इसे यूनिफायड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (यूएमएएनजी) एप्लिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है ताकि सदस्य अपने पासबुक, दावों की स्थिति का पता लगाने तथा ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके।
v) प्रत्याहरणों के लिए पूर्वगत बहुविध दावा फॉर्मों के स्थान पर एक-पृष्ठीय संयुक्त दावा फॉर्म (सीसीएफ) प्रारंभ किया गया है।
vi) अब किसी सदस्य से चिकित्सा प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा वह प्रत्याहरण पाने के लिए केवल स्व-सत्यापन कर सकता है।
vii) अभिदाताओं को समस्त भुगतान राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।

ईपीएफओ के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है और उनमें सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2766
सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक)

बेरोजगारी पेंशन

2766. प्रो. सौगत रायः
श्री एस. ज्ञानतिरावियमः
डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी पेंशन शुरू करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के किसी राज्य में ऐसी पेंशन योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में तमिलनाडु और अन्य राज्यों में ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट कुशल, अर्धकुशल और अकुशल बेरोजगारों की संख्या कितनी है और इन बेरोजगार युवाओं को संवहनीय रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने देश में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई विशेष पैकेज बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार देश में बेरोजगार युवाओं का अपने स्थान से पलायन रोकने के लिए बुनकरों, जुलाहों, लोहारों, लकड़ी के कामगारों, कुम्हारों, मधुमक्खी पालकों, चर्म शिल्पियों इत्यादि पारंपरिक कारीगरों सहित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की कोई योजना चला रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): बेरोजगारी पेंशन का ऐसा कोई प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विचारार्थ नहीं है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत शामिल कर्मचारी बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) नामक दो बेरोजगारी भत्ता योजनाएं हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों (आईपी) को राहत प्रदान करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए पायलट आधार पर 01.07.2018 से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को शुरू किया गया था। इस योजना को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

बेरोजगारी पेंशन योजना के राज्य-वार ब्यौरे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ): 2019-20 की नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार दृष्टिकोण के अनुसार, विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 28.02.2022 तक 1.33 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 50.81 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 04.03.2022 तक 33.91 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान से 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत ध्यान देने के मद्देनजर रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, विद्युत, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई है। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 21.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2766 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (पीएलएफएस)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य शिक्षा स्तर (प्रतिशत में)									
	निरक्षर	साक्षर व प्राथमिक तक	माध्यमिक	सेकेंडरी	उच्चतर माध्यमिक	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	स्नातक	स्नातकोत्तर व उससे अधिक	सेकेंडरी एवं उससे अधिक	सभी (एन.आर सहित.)
आंध्र प्रदेश	0.2	0.0	0.6	3.2	7.3	16.7	24.5	28.7	13.6	4.7
अरुणाचल प्रदेश	0.2	1.4	4.0	9.8	10.5	0.0	23.9	36.5	15.7	6.7
असम	0.6	2.5	10.5	7.3	14.9	4.0	20.1	6.6	13.5	7.9
बिहार	2.5	2.4	5.0	3.9	6.6	84.9	19.9	12.3	10.0	5.1
छत्तीसगढ	0.1	1.1	2.3	2.1	6.6	34.1	17.8	12.7	8.5	3.3
दिल्ली	1.9	1.3	6.7	5.4	10.1	14.6	13.5	16.1	11.5	8.6
गोवा	0.0	0.8	6.9	6.7	11.6	14.8	15.0	15.3	11.6	8.1
गुजरात	0.3	0.8	1.6	1.7	3.5	5.2	5.3	8.8	3.9	2.0
हरियाणा	3.1	1.1	3.8	6.1	10.6	13.1	13.4	8.9	9.7	6.4
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.1	1.0	0.9	4.5	10.8	17.9	10.8	6.5	3.7
झारखंड	0.3	2.0	4.8	6.2	9.1	24.7	14.0	14.3	9.6	4.2
कर्नाटक	0.0	0.1	1.7	3.0	3.5	9.9	19.8	10.4	9.1	4.2
केरल	0.6	1.1	3.1	6.5	17.5	13.8	28.2	24.2	16.7	10.0
मध्य प्रदेश	0.2	1.8	2.9	2.5	4.6	17.1	14.7	6.3	7.1	3.0
महाराष्ट्र	0.2	1.2	2.1	2.5	6.3	10.9	8.6	2.5	5.6	3.2
मणिपुर	0.7	2.1	5.6	7.7	12.9	9.4	18.2	21.3	14.2	9.5
मेघालय	0.0	0.1	0.5	3.8	10.0	5.9	16.6	19.7	10.9	2.7
मिजोरम	0.0	0.1	2.2	2.2	12.7	0.0	14.3	22.3	11.6	5.7
नागालैंड	0.0	6.3	20.4	26.7	34.3	34.5	46.3	56.0	36.6	25.7
ओड़िशा	0.1	1.3	5.1	10.7	16.9	28.4	25.3	10.5	16.9	6.2
पंजाब	1.4	3.5	4.5	5.3	15.8	16.4	14.5	14.1	11.7	7.3
राजस्थान	0.7	2.2	2.5	3.0	5.4	14.1	22.8	16.9	11.7	4.5
सिक्किम	0.4	0.1	0.1	1.8	5.3	13.9	11.1	2.1	5.9	2.2
तमिलनाडु	0.2	0.2	2.4	3.2	6.2	16.4	20.6	13.5	11.7	5.3
तेलंगाना	0.2	1.2	3.4	4.4	9.7	12.8	26.9	24.6	14.0	7.0
त्रिपुरा	0.0	0.6	3.1	4.4	6.6	16.3	13.8	5.6	8.3	3.2
उत्तराखंड	0.4	3.4	3.5	4.5	13.8	22.0	21.9	8.3	12.6	7.1
उत्तर प्रदेश	0.7	2.8	3.3	3.5	6.3	21.2	15.6	10.6	8.7	4.4
पश्चिम बंगाल	0.7	1.4	4.9	5.8	9.1	13.9	15.2	11.5	10.1	4.6
अंडमान और एन द्वीप	0.0	0.5	5.0	14.4	29.4	19.7	29.8	18.9	23.2	12.6
चंडीगढ़	4.1	6.2	5.6	8.9	10.5	0.0	3.0	8.2	6.9	6.3
दादरा और नगर हवेली	0.0	0.0	0.5	3.2	4.1	3.2	8.6	17.3	6.7	3.0
दमन और दीव	0.0	0.0	2.2	3.8	7.8	5.6	3.4	0.0	4.5	2.9
जम्मू और कश्मीर	0.4	0.4	2.5	5.2	14.6	49.6	21.9	21.2	14.6	6.7
लद्दाख	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1
लक्षद्वीप	0.0	3.1	4.6	7.6	27.8	29.3	35.2	0.0	20.3	13.7
पुदुचेरी	0.0	0.0	5.4	2.6	9.1	10.1	19.8	8.4	10.5	7.6
अखिल भारतीय	**0.6**	**1.4**	**3.4**	**4.1**	**7.9**	**14.2**	**17.2**	**12.9**	**10.1**	**4.8**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, *2019-20;* सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2806

सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक)

संविदा आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी

2806. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री अजय निषाद:
श्री चन्दन सिंह:
श्री डी.के.सुरेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए पुरूष और महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार को कार्यस्थलों पर कमियों के संबंध में कोई सुझाव/शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक कार्य स्थिति बनाने की क्या योजना है;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं और यदि हां, तो मंत्रालय/विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कर्मचारियों को सरकार द्वारा भर्ती किया जाता है या निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से आउटसोर्स किया जाता है और यदि हां, तो मंत्रालय/विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या कुछ मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारी निरंतर वर्ष दर वर्ष संविदा के आधार पर काम रहे हैं और यदि हां, तो मंत्रालय/विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त संविदा कर्मचारियों की भर्ती के समय उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन सभी कर्मचारियों को ईपीएफ/ईएसआईएस/ईएसआईसी योजना के अंतर्गत लाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): सरकारी पदों को भर्ती नियमों के अनुसार नियमित रूप से भरा जाता है। तथापि, कार्य की प्रशासनिक आवश्यकता, संचालन की मितव्ययिता और अपरिहार्य परिस्थितियों को बध्यान में रखते हुए, कभी-कभी संविदा के माध्यम से आउटसोर्सिंग का भी सहारा लिया जाता है।

जारी/2

"सामान्य वित्तीय नियम 2017" (जीएफआर 2017), और "परामर्श और अन्य सेवाओं की प्राप्ति नियमावली, 2017" में ई-प्रापण के माध्यम सहित ऐसी गैर-परामर्शी या आउटसोर्स सेवाओं की प्राप्ति के लिए निर्धारित विस्तृत प्रक्रियाएं हैं। किसी भी चूक या उल्लंघन की स्थिति में संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा उचित तरीके से निपटा जा सकता है। संविदा/आउटसोर्सिंग पर कार्यबद्ध व्यक्तियों के लिए मजदूरी संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो सकती है।

मंत्रालय/विभाग ठेकागत सेवाओं को सीधे कार्यबद्ध करते हैं और वे सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिक्त पदों के लिए नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी भी हैं। इस संबंध में कोई केन्द्रीकृत डेटा नहीं रखा जाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जारी लाइसेंसों और पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के आधार पर ठेका श्रमिकों/कामगारों/कर्मचारियों के समेकित रिकार्ड/डेटा रखता है। संविदा श्रमिकों/कामगारों/कर्मचारियों का मंत्रालय/विभाग-वार और लिंग-वार अलग-अलग कोई डेटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जारी लाइसेंसों और पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के आधार पर ठेका कर्मचारियों/कामगारों/श्रमिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यरत ठेका श्रमिकों/ कामगारों/ कर्मचारियों की कुल संख्या
2019	1364377
2020	1324874
2021	2430989

पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 6:1 (लगभग) है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2807
सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

2807. श्री राजेश वर्माः
श्री संजय काका पाटीलः
डॉ. तालारी रंगैय्याः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सहित स्वीकृत, आवंटित, जारी और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के तहत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में उक्त योजना की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत अर्ध-कुशल और अकुशल बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वाले प्रतिष्ठान द्वारा जमा की गई इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) के आधार पर धन का वितरण किया जाता है और चालान बनने के समय प्रतिष्ठान द्वारा देय कुल राशि में कटौती के माध्यम से सब्सिडी परिलक्षित होती है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसलिए, राज्य-वार अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत आरंभ से आदिनांक जारी की गई कुल निधियां 9036.97 करोड़ रुपये हैं।

उत्तर प्रदेश का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और II में दिया गया है।

(घ): सरकार वर्ष 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन के लिए प्रोत्साहित करना और अनौपचारिक कामगारों, जिसमें अर्ध-कुशल तथा अकुशल कामगार भी शामिल हैं, को भी औपचारिक कार्यबल में लाना है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 21.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2807 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई के आरंभ से फरवरी, 2022 के राज्य-वार आंकड़े				
क्र.सं.	राज्य	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3397	254891	2313959777
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	467	11347	97695389
5	बिहार	996	127977	1350176962
6	चंडीगढ़	4595	194979	1728848203
7	छत्तीसगढ	3099	132291	1180797894
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0
10	दिल्ली	6673	767733	5488842282
11	गोवा	583	26025	198247638
12	गुजरात	14247	1067569	7844709210
13	हरियाणा	8878	991910	6415861867
14	हिमाचल प्रदेश	3005	130498	949276597
15	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
16	झारखंड	1749	70121	615936187
17	कर्नाटक	10336	1183481	9599865436
18	केरल	4410	207296	2646703318
19	लद्दाख	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	5913	347154	2935038928
22	महाराष्ट्र	17873	2169009	14881383763
23	मणिपुर	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0
25	मिजोरम	0	0	0
26	नागालैंड	0	0	0
27	ओड़िशा	3003	142341	1245329489
28	पुदुचेरी	374	20289	136455121
29	पंजाब	5620	197551	1828119978
30	राजस्थान	9463	462575	3141030676
31	सिक्किम	0	0	0
32	तमिलनाडु	17247	1442828	11185847267
33	तेलंगाना	7184	706352	4904761967
34	त्रिपुरा	0	0	0
35	उत्तर प्रदेश	15453	850820	7407564917
36	उत्तराखंड	3034	297661	1739646822
37	पश्चिम बंगाल	5301	367262	2681650548
योग		**152900**	**12169960**	**92517750236**

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 21.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2807 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उत्तर प्रदेश में पीएमआरपीवाई के आरंभ से फरवरी, 2022 के जिला-वार आंकड़े

क्र.स.	राज्य का नाम	जिले का नाम	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)
1	उत्तर प्रदेश	आगरा	1291	48692	512889597
2	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	387	10029	165151580
3	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	46	1509	12624258
4	उत्तर प्रदेश	अमरोहा	118	9624	91638654
5	उत्तर प्रदेश	औरैया	36	765	10265201
6	उत्तर प्रदेश	अयोध्या	58	2227	27051468
7	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	57	1554	15127737
8	उत्तर प्रदेश	अमेठी	8	85	732892
9	उत्तर प्रदेश	बागपत	52	3563	32401800
10	उत्तर प्रदेश	बहराइच	18	439	6069183
11	उत्तर प्रदेश	बलिया	22	679	7475546
12	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	25	1119	12356267
13	उत्तर प्रदेश	बाँदा	5	4334	45494344
14	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	103	2567	29849899
15	उत्तर प्रदेश	बरेली	354	10135	89561545
16	उत्तर प्रदेश	बस्ती	24	1303	15864687
17	उत्तर प्रदेश	भदोही	125	7771	73543161
18	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	97	2316	33669629
19	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	25	414	2859997
20	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	295	6001	65221826
21	उत्तर प्रदेश	चंदौली	80	1725	21158273
22	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	4	66	1555077
23	उत्तर प्रदेश	देवरिया	45	801	7063975
24	उत्तर प्रदेश	एटा	72	2092	23211623
25	उत्तर प्रदेश	इटावा	35	838	9103610
26	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	20	616	7946227
27	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	56	1517	14033700
28	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	174	7735	48428346
29	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	2948	355892	2006557169
30	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद	1736	95074	739094456
31	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	40	2220	13394334
32	उत्तर प्रदेश	गोंडा	23	1860	21353397
33	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	257	8053	111013808
34	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	10	147	2129183
35	उत्तर प्रदेश	हापुड़	40	1345	16235902
36	उत्तर प्रदेश	हरदोई	66	1208	10777154
37	उत्तर प्रदेश	हाथरस	133	3811	44560297
38	उत्तर प्रदेश	जालौन	12	1900	23255818
39	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	57	1819	23226160
40	उत्तर प्रदेश	झांसी	82	3020	27494845
41	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	29	410	4652178
42	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	63	2298	29825862
43	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	871	50276	512731285

44	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी	5	81	1270831
45	उत्तर प्रदेश	खेरी	172	5129	51376751
46	उत्तर प्रदेश	कुशी नगर	24	443	4613405
47	उत्तर प्रदेश	कासगंज	11	237	4543495
48	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	8	413	4459131
49	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1238	80027	880946377
50	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	20	198	3373093
51	उत्तर प्रदेश	महोबा	3	135	1844847
52	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	40	768	8304537
53	उत्तर प्रदेश	मथुरा	537	12115	129234247
54	उत्तर प्रदेश	मऊ	36	689	10821219
55	उत्तर प्रदेश	मेरठ	737	24945	298236630
56	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	67	3117	25182163
57	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	311	22442	247190977
58	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	307	7051	90678155
59	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	32	401	7661695
60	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	20	185	2065134
61	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	290	9709	100552451
62	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	128	4510	49227699
63	उत्तर प्रदेश	रामपुर	90	3158	36134102
64	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	163	5855	56589032
65	उत्तर प्रदेश	संभल	19	332	3514167
66	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	19	993	8789202
67	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	67	1252	13101643
68	उत्तर प्रदेश	शामली	22	253	3544154
69	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	3	25	397571
70	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	5	64	864245
71	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	180	3269	41198056
72	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	164	13012	98255208
73	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	30	1931	32822999
74	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	117	3443	38359997
75	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	590	24163	316287385

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2954

सोमवार, 21 मार्च, 2022/ 30 फाल्गुन, 1943 (शक)

ईपीएफओ का कार्यकरण

2954. डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ0 के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा की है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत दस वर्षों के दौरान ईपीएफओ को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए ईपीएफओ के मृतक कर्मचारियों के परिजनों की ओर से अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अनुरोधों पर ईपीएफओ द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का केंद्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5क के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सीपीएफसी समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा करते हैं और पिछले तीन महीनों के दौरान चार समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कामकाज की भी मंत्रालय स्तर पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है, ताकि उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाई गई तीन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) से (घ): अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदनों पर ईपीएफओ द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में और केंद्रीय बोर्ड द्वारा मौजूदा शक्तियों के प्रत्यायोजन और ईपीएफ तथा ईपीएफओ के मुख्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर द्वारा जारी प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों के आलोक में विचार किया जाता है।

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों को विचार और सिफारिशों के लिए जांच समिति/(समितियों) के समक्ष रखा गया था। पिछले दस वर्षों के दौरान प्राप्त 702 आवेदनों में से 291 आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2977

सोमवार, 21 मार्च, 2022 / 30 फाल्गुन, 1943 (शक)

भारतीय श्रम प्रशासनिक सेवा

2977. श्री आर.के. सिंह पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.पी.एफ.ओ, सी.एल.सी., ई.एस.आई.सी., डी.जी.ई., डी.जी.एल.डब्ल्यू. आदि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वले सभी विभागों की सभी समूह-क सेवाओं को मिलाकर रेल मंत्रालय की सभी समूह-क सेवाओं से युक्त सृजन हेतु प्रस्तावित भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के अनुरूप एक संयुक्त भारतीय श्रम प्रशासनिक सेवा बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपरोक्त बिन्दु (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3927

सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना की विशेषताएं

3927. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. डी.एन.वी.सेंथिकुमार एस.:
डॉ. सुभाषरामराव भामरे:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री धनुष एम. कुमार:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) ईपीएफ निधि में नियमित रूप से अंशदान करने वाले कर्मचारियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए पात्रता मानदंडों में ढ़ील देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पिछले कई वर्षों से स्टॉफ/कर्मचारियों के बड़ी संख्या में ईपीएफ खाते निष्क्रिय पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या ईपीएफ के तहत नियोक्ताओं के अंशदान को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के कुल कितने मामलों का निपटारा किया गया है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान निपटान हेतु ईपीएफ मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार कुल संख्या कितनी है और क्या दावों के प्रक्रमण के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए है और यदि हां, तो निपटान दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत बनाई गई तीन योजनाओं में से एक है। ईपीएफ योजना, 1952 का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सहित पूरे भारत में ईपीएफ द्वारा कवर किए गए किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के तहत,

किसी भी कवर किए गए प्रतिष्ठान के कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये है, से वैधानिक रूप से निधि में शामिल होना और वेतन का 12% अंशदान करना अपेक्षित है, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, शामिल हैं। नियोक्ता द्वारा भी वेतन का 12% अंशदान दिया जाना अपेक्षित है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का सदस्य उक्त योजना में निहित उपबंधों के अनुसार ईपीएफ से निकासी और अग्रिम के लाभ का हकदार है। इसके अलावा, महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को गैर-वापसी योग्य अग्रिम की अनुमति देने का उपबंध सम्मिलित करके मार्च, 2020 में योजना में संशोधन किया गया था। इस उपबंध से ईपीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते से अपनी शेष राशि के 75 प्रतिशत या तीन महीने के वेतन में से जो भी कम हो, का अग्रिम प्राप्त करने की सुविधा मिली। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य जिन्होंने पहले कोविड-19 अग्रिम का लाभ उठाया है, वे दूसरे अग्रिम का विकल्प भी चुन सकते हैं। एक सदस्य प्रत्येक वर्ष अपने भविष्य निधि संचय पर ब्याज के क्रेडिट का भी हकदार है।

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कुल सदस्यों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख): औसत अंशदाता सदस्यों का अंचल-वार ब्यौरा (2020-21) **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 के अंतर्गत कवेरज हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान में, यह 15000/- रुपये प्रतिमाह है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित की गई थी, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 सहित 9 केंद्रीय श्रम कानून समाहित हैं। केंद्रीय सरकार उक्त संहिता की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अनुसार स्व-नियोजित श्रमिकों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग को उक्त संहिता के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कोई अन्य योजना या योजनाएं तैयार कर सकती है। उक्त संहिता की धारा 16 के अंतर्गत एक उपबंध है जो केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा, किसी भी कर्मचारी वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अवधि हेतु कर्मचारियों के अंशदान की विभिन्न दरें निर्धारित करने के समर्थ बनाता है। तथापि, उक्त संहिता अभी तक लागू नहीं हुई है।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार, कतिपय खातों को 'निष्क्रिय खाते' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन खातों के निश्चित दावेदार हैं। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, 11,72,923 निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि 3930.85 करोड़ रुपये (गैर-लेखापरीक्षित) थी।

(ङ) और (च): जी नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास दावा प्रक्रमण और निपटान प्रणाली का एक मजबूत ऑनलाइन और पारदर्शी तंत्र है, जिसकी उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। यह प्रणाली ग्राहकों को निपटान पूर्ण होने तक दावे की स्थिति का पता लगाने के लिए पहुंच प्रदान करती है। दावों का प्रक्रमण एक सतत कार्य है और अधिकांश दावों के लिए 20 दिनों से कम समय लगता है। वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (22.03.2022) के दौरान निपटाए गए भविष्य निधि के अंतिम दावों की कुल संख्या का अंचल-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

*** ******

अनुबंध-I

कर्मचारी भविष्य निधि योजना की विशेषताएं के संबंध में डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे और अन्य माननीय सांसदों द्वारा पूछे गए दिनांक 28.03.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3927 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध	
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कुल सदस्य खाते - राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**कुल सदस्य खाते**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52,791
आंध्र प्रदेश	52,39,997
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड	11,41,058
बिहार	22,24,195
छत्तीसगढ	22,29,247
दिल्ली	1,99,08,340
गोवा	16,38,652
गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,02,28,910
हरियाणा	1,91,64,075
हिमाचल प्रदेश	18,90,796
जम्मू और कश्मीर	2,63,735
झारखंड	26,59,006
कर्नाटक	3,02,70,006
केरल और लक्षद्वीप	37,58,835
लद्दाख	2,760
मध्य प्रदेश	59,04,928
महाराष्ट्र	5,21,50,254
मेघालय और मिजोरम	1,43,986
ओडिशा	37,36,094
पुदुचेरी	7,88,532
पंजाब और चंडीगढ़	74,82,970
राजस्थान	68,15,577
तमिलनाडु	2,98,45,826
तेलंगाना	1,41,37,217
त्रिपुरा	1,12,094
उत्तर प्रदेश	1,20,70,424
उत्तराखंड	38,77,217
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	1,10,48,836
संपूर्ण भारत	**25,87,86,358**

अनुबंध-II

कर्मचारी भविष्य निधि योजना की विशेषताएं के संबंध में डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे और अन्य माननीय सांसदों द्वारा पूछे गए दिनांक 28.03.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3927 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध	
औसत अंशदाता सदस्य - अंचलवार (2020-21)	
क्षेत्र	**अंशदान देने वाले सदस्य**
आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)	11,48,445
बेंगलुरु (बेंगलुरु)	45,36,903
बिहार और झारखंड (पटना)	12,60,867
चेन्नई और पुडुचेरी (चेन्नई)	29,91,524
दिल्ली और उत्तराखंड (दिल्ली)	34,34,924
गुजरात (अहमदाबाद)	30,51,245
हरियाणा (फरीदाबाद)	23,75,103
जम्मू, कश्मीर और लद्दाख	1,53,754
कर्नाटक (बेंगलुरू के अलावा) और गोवा (हुबली)	13,30,016
केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)	11,25,670
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)	16,19,021
महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)	32,49,072
मुंबई I (बांद्रा)	31,57,352
मुंबई II (ठाणे)	28,63,234
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)	4,17,114
ओडिशा (भुवनेश्वर)	8,23,951
पंजाब और हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)	14,42,307
राजस्थान (जयपुर)	11,38,991
तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) (कोयंबटूर)	21,09,751
तेलंगाना (हैदराबाद)	28,76,832
उत्तर प्रदेश (कानपुर)	22,39,001
पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)	29,39,210
संपूर्ण भारत	**4,62,84,287**

अनुबंध-III

कर्मचारी भविष्य निधि योजना की विशेषताएं के संबंध में डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे और अन्य माननीय सांसदों द्वारा पूछे गए दिनांक 28.03.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3927 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

भविष्य निधि के निपटाए गए अंतिम निपटान दावे

क्षेत्र का नाम	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (22.03.2022)**
आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)	1,20,446	1,20,158	1,36,759	1,22,099
बेंगलुरू (बेंगलुरू)	5,14,363	4,62,187	5,85,483	4,65,001
बिहार और झारखंड (पटना)	89,769	80,205	1,03,892	98,630
चेन्नई और पुडुचेरी (चेन्नई)	3,82,602	3,14,389	3,28,047	2,85,429
दिल्ली और उत्तराखंड	5,23,845	5,00,622	5,39,466	4,33,253
गुजरात (अहमदाबाद)	4,37,234	4,28,748	4,73,200	4,29,961
हरियाणा	4,27,701	3,79,201	4,27,321	3,67,014
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख#	0	0	790	26,473
कर्नाटक (बेंगलुरू के अलावा) और गोवा (हुबली)	1,61,130	1,46,144	1,66,262	1,43,813
केरल और लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)	1,53,779	1,23,495	1,25,587	1,16,495
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)	2,03,863	1,87,057	2,16,564	1,85,689
महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)	4,38,904	3,89,331	4,10,829	3,90,850
मुंबई-1 (बांद्रा)	2,44,262	1,87,589	2,46,861	2,07,830
मुंबई-2 (ठाणे)	3,73,208	3,22,785	3,87,898	3,41,559
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)	39,172	34,943	32,391	38,898
ओडिशा (भुवनेश्वर)	96,251	63,536	71,818	77,534
पंजाब और हिमाचल प्रदेश	2,54,599	2,45,783	2,41,971	2,20,505
राजस्थान	1,58,245	1,47,915	1,61,190	1,39,128
तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	3,14,284	3,04,614	3,12,127	2,85,101
तेलंगाना (हैदराबाद)	2,76,532	2,35,786	2,69,213	2,38,468
उत्तर प्रदेश	3,20,649	2,82,143	2,98,671	2,86,738
पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप और सिक्किम (कोलकाता)	2,30,756	1,87,737	2,19,489	2,54,181
कुल	**57,61,594**	**51,44,368**	**57,55,829**	**51,54,649**

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) द्वारा विस्तारित

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3938

सोमवार, 28 मार्च, 2022 / 7 चैत्र, 1944 (शक)

प्रवासी कामगारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

3938. डॉ. मनोज राजोरिया:
श्री जुएल ओराम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च, 2020 से लॉकडाउन जैसी स्थिति को देखते हुए प्रवासी कामगारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और इस योजना पर खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार भविष्य में कोविड-19 जैसी स्थिति को देखते हुए प्रवासी कामगारों के संबंध में कोई ठोस नीति तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रवासी कामगारों की समस्याओं के संबंध मे कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो वे कौन-कौन से कार्यस्थल हैं जहां इन कामगारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) इन कामगारों को बचाने तथा इनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सरकार ने प्रवासी श्रमिकों सहित गरीबों को कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति का सामना करने में सहायता करने के लिए दिनांक 26.3.2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की घोषणा की थी। पीएमजीकेपी में समाज के सभी वर्गों शामिल करते हुए मौजूदा लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम-किसान, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का विस्तृत व्यक्तिगत दुर्घटना कवर तथा प्रधान मंत्री जन धन योजना खाता धारक सभी महिलाओं को 3 महीने के लिए 500 रुपये प्रतिमाह

की अनुग्रह राशि का भुगतान भी किया गया। इस पैकेज के अंतर्गत लाभ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए।

(ख) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 01.04.2021 से प्रवासी कामगारों के अखिल भारतीय सर्वेक्षण का शुभारम्भ किया है।

इस के साथ-साथ मंत्रालय ने अगस्त, 2021 में असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आधार से जुड़े असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। यह पोर्टल गतिशील डेटाबेस के माध्यम से कामगारों के प्रवास की स्थिति निर्धारित करने में सहायता करेगा। एनसीएस, एएसईईएम और यूडीवाईएएम से लिंक प्रदान करके यह प्रणाली कामगारों को नौकरी के अवसर और कौशल-उन्नयन उपलब्ध कराने को भी सुविधाजनक बनाएगी। यह पोर्टल ऐसे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की प्रदायगी को सुविधाजनक बनाने के लिए भी है। दिनांक 23.03.2022 की स्थिति के अनुसार इस पोर्टल पर 26.88 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा चुका है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4095

श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता

सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

4095. श्री रमेश विधूड़ी

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की कार्य दशा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं:
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने श्रम कानूनों के समुचित कार्यान्वयन के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कामगारों की कार्य दशाएं और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन और अपंगता कवर, (ii) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत कोई अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर समुचित कल्याण योजनाएं बनाने हेतु सरकार को अधिदेशित करता है। जीवन और अपंगता कवर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी - पीएमजेएवाई) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है। प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) पेंशन योजना द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान कराया जाता है।

कार्यदशाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवेश पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसएचईडब्ल्यू) की घोषणा की है जिसका लक्ष्य देश में कार्य संबंधित चोट की घटनाओं, रोगों, मृत्यु, आपदाओं को समाप्त कर एक निवारक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति की स्थापना करना है।

(घ) और (ङ): सरकार ने, 29 केन्द्रीय श्रम संहिताओं के सरलीकरण, समामेलन और युक्तिकरण के पश्चात चार श्रम संहिताओं, नामतः मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 अधिसूचित किया है। श्रम संहिताएं, अन्य बातों के साथ साथ सांविधिक न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा संरक्षण और श्रमिकों की स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में, असंगठित कामगार सहित कामगारों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल मजबूत करेंगी।

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *412

उत्तर देने की तारीख 31.03.2022

सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र में रोजगार के अवसर

*412. श्री पी. वेलुसामी:
श्री के.षणमुग सुंदरम:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रोज़गार के और अधिक अवसर सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र हेतु धनराशि का आबंटन बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु अनुकूल माहौल बनाने तथा और अधिक संख्या में कामगार नियोजित करने हेतु इन उद्यमों के कामगारों की कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) तथा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की धनराशि वहन करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31.03.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *412 के उत्तर के भाग (क) से (च) में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) एमएसएमई मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से **प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** का कार्यान्वयन कर रहा है, जो गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार सृजन के अवसरों के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक प्रमुख ऋण-संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों के लिए, जैसे एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि में ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रु. और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. है। स्कीम की शुरूआत से दिनांक 15.03.2022 तक, 18765.57 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी के उपयोग से लगभग 7.73 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों की सहायता की गई है और 63.42 लाख व्यक्तियों के लिए रोज़गार अवसर सृजित किए गए हैं।

मंत्रालय **परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)** का भी कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करना और उन्हें उन्नत उपकरणों, कच्चा माल के प्रापण, सामान्य सुविधा केंद्रों के निर्माण, प्रशिक्षण, डिज़ाइन और विपणन सहायता आदि में सहायता के साथ सतत रोज़गार प्रदान करना है। वर्ष 2014 से अब तक, भारत सरकार वचनबद्धता से लगभग 1295 करोड़ रु. से 498 क्लस्टरों का अनुमोदन किया गया है और लगभग 2.87 लाख कारीगरों को लाभ पहुंचा है।

इसके अलावा, केवीआईसी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्व-रोज़गार अवसर प्रदान करने के लिए निम्न कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन कर रहा है:

i. **हनी मिशन:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मधुमक्खी बक्सों सहित मधुमक्खी कॉलोनियों, टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं ताकि मधुमक्खी पालकों के रूप में किसानों, आदिवासियों और ग्रामीण युवाओं की आय में वृद्धि की जा सके। वर्ष 2017-18 में स्कीम की शुरुआत से, 98.19 करोड़ रु. की लागत से 159659 मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया गया है और लगभग 16085 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है।

ii. **कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्रामीण कुम्हारों को प्रशिक्षण सहित इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील, ब्लंगर आदि जैसे नवीन ऊर्जा दक्ष उपकरण प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2017-18 में स्कीम की शुरुआत से, 51.96 करोड़ रु. की कुल लागत से 23340 इलेक्ट्रिक पॉटरी का वितरण किया गया है और लगभग 93360 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है।

उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए निधियों का आबंटन (संशोधित अनुमान) निम्नलिखित है:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
1	पीएमईजीपी	2118.80	2464.44	2159.49	2500.00
2	हनी मिशन	-	15.00	11.07	10.78
3	कुम्हार सशक्तिकरण	16.00	17.00	18.61	7.49
4	स्फूर्ति	86.15	185.00	350.00	402.02

*24.03.2022 तक

(ग) और (घ) उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान निम्नलिखित हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	2021-22	2022-23
1	पीएमईजीपी	2000.00	2500.00
2	हनी मिशन	5.78	8.78
3	कुम्हार सशक्तिकरण	6.02	11.90
4	स्फूर्ति	170.00	334.00

(ङ) और (च) ईएसआई में शामिल कर्मचारियों द्वारा देय मासिक कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अंशदान वेतन का 4% है जिसमें 0.75% कर्मचारी का अंशदान और 3.25% नियोक्ता के अंशदान के रूप में है। सरकार द्वारा एमएसएमई श्रमिकों के संबंध में ईएसआईसी अंशदान को वहन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952, के अंतर्गत शामिल किए गए किसी भी प्रतिष्ठान में 15,000 रु. तक के मासिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए इस निधि में शामिल होना और वेतन का 12% अंशदान करना सांविधिक रुप से अपेक्षित है, इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेंनिंग भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है। नियोक्ता के लिए भी वेतन के 12% का अंशदान देना अपेक्षित है। सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिए 1000 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अंशदान (वेतन का 24%) और 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में केवल कर्मचारी ईपीएफ अंशदान (वेतन का 12%) का भुगतान किए जाने के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (एबीआरवाई) का शुभारंभ किया है। इस स्कीम को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5144

सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/ 14 चैत्र, 1944 (शक)

न्यायालयों में लंबित मामले

5144 श्री एस.ज्ञानतिरावियम:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वर्ष के दौरान कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत कर्मचारियों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय द्वारा दायर किए गए मामलों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि में न्यायालयों में क्षेत्र-वार ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) देश में ऐसे मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952) अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में कार्यबद्ध कारखानों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों वर्ग से संबंधित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है यदि उनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों। ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के उल्लंघन के किसी भी मामले में और यदि नियोक्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं गया है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। हालांकि, ईपीएफओ उक्त अधिनियम के तहत कवर किए गए किसी भी प्रतिष्ठान के नियोक्ता के विरुद्ध मामले दर्ज नहीं करता है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5243

सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक)

आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा राहत

5243. श्रीमती संध्या राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 के कारण मरने वाले मध्य प्रदेश में दतिया और भिंड के कामगारों के आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा राहत के अंतर्गत प्रदान की गई मुआवजे की राशि कितनी है; और

(ख) मध्य प्रदेश से प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है और इस संबंध में कितनी राशि जारी की जानी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कोविड-19 के कारण मृत बीमित व्यक्तियों (आईपी) के परिवारों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने दिनांक 03.06.2021 को ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत जिस बीमित व्यक्ति की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई, उस मृत बीमित व्यक्ति के औसत वेतन का 90% उसके पात्र आश्रितों को भुगतान किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत भिंड जिले के बीमित व्यक्ति के आश्रितों से एक दावा प्राप्त हुआ है और लाभार्थियों को 1,45,624/- रु. का भुगतान किया गया है। दतिया जिले से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांक 28.03.2022 तक ईएसआईसी की कोविड-19 योजना के अंतर्गत राहत हेतु मध्य प्रदेश राज्य के बीमित व्यक्तियों के आश्रितों से कुल 323 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमे से 301 दावे अनुमोदित किए गए हैं और 769 लाभार्थियों को 1.97 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई है।

अप्रैल, 2020 से फरवरी, 2022 की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश में (छत्तीसगढ़ सहित) 6184 व्यक्ति कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं तथा ग्वालियर क्षेत्र में, जिसमे दतिया और भिंड शामिल हैं, 244 व्यक्तियों को 7.01 करोड़ रु. के लाभ सहित 179.49 करोड़ रु. का भुगतान किया गया था।

कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के अंतर्गत, उस अवधि में मृत्यु को प्राप्त हुए कर्मचारियों के आश्रितों को राहत प्रदान करने हेतु मृत कर्मचारियों के पात्र परिवार के सदस्यों को 2.50 लाख रु. का एक न्यूनतम बीमा लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ईडीएलआई योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा 6 लाख रु. से बढ़ाकर 7 लाख रु. कर दी गई है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5278

सोमवार, 04 अप्रैल, 2022 / 14 चैत्र, 1944 (शक)

असंगठित क्षेत्र में लगे कामगार

5278. श्री बालक नाथ:
श्री सी.पी. जोशी:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कार्यबल में से असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों का प्रतिशत कितना है और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए कार्यान्वित की जा रही आम आदमी बीमा योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस संबंध में आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) राजस्थान के अलवर निर्वाचन क्षेत्र में संगठित/असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या असंगठित क्षेत्र के कामगार ई-श्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत महिला कामगारों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान केंद्रीकृत सामाजिक सुरक्षा कोष और आम आदमी बीमा योजना छात्रवृत्ति कोष में किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 38 करोड़ कामगार अर्थात देश के कुल 47 करोड़ कार्यबल का लगभग 81% असंगठित कामगारों के रूप में कार्यरत है। 47 चिह्नित वृत्तियों और व्यवसायों में गरीबी रेखा से नीचे और मामूली रूप से ऊपर जीवन यापन करने वाले 18 और 59 वर्ष के

आयु समूह के बीच के व्यक्तियों को जीवन और नि:शक्तता कवर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) आरंभ की गई थी। दिनांक 01.06.2017 से इसका विलय प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, के साथ कर दिया गया है।

(ख): उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत, दिनांक 27-10-2021 की स्थिति के अनुसार संचयी नामांकन निम्न प्रकार हैं।

राज्य	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई
उत्तर प्रदेश	85,70,908	3,28,05,228
राजस्थान	42,27,061	1,26,43,411

(ग) से (ङ): ई-श्रम पोर्टल पर राजस्थान के अलवर जिले में असंगठित क्षेत्र के कुल 13,518 कामगारों को पंजीकृत किया गया है। सरकार ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कल्याणकारी योजनाओं की असंगठित कामगारों को प्रदायगी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अगस्त, 2021 में ई-श्रम पोर्टल का शुभारम्भ किया है। सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों तक, उनकी पात्रता के मानदंड के अनुसार रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ ई-श्रम पोर्टल के एकीकरण का पहला स्तर भी पूरा कर लिया है। 29 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, 14.25 करोड़ महिला कामगारों सहित 27 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पोर्टल के तहत पंजीकृत किए गए हैं तथा उन्हें ई-श्रम कार्ड जारी किया गया है।

(च): 1 जून, 2017 से आम आदमी बीमा योजना का विलय प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ करने के कारण, सामाजिक सुरक्षा निधि और आम आदमी बीमा योजना छात्रवृत्ति निधि के लिए कोई आवंटन किया जाना अपेक्षित नहीं है। दोनों योजनाएं कामगारों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5286

सोमवार, 04 अप्रैल, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

ईपीएस - 95 पेंशन योजना

5286. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हर दस वर्ष में ईपीएस - 95 योजना की समीक्षा और संशोधन के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न करने की जांच के लिए तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार पीएफ पेंशन के व्यापक संशोधन के लिए कार्य कर रही है और यदि हां, तो इसे शीघ्र या निकट भविष्य में लागू करने की विस्तृत योजना क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस - 95) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया है। ईपीएस - 95 दिनांक 19.11.1995 को लागू किया गया। योजनाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है। विशेषज्ञ समिति और उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन निधि के बीमांकिक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए ईपीएस - 95 के उपबंधों की समय समय पर समीक्षा की जाती है। ईपीएस - 95 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्नानुसार हैं:

(i) दिनांक 01.09.2014 से मजदूरी सीमा में 6500/- रु. से बढ़ाकर 15000 रु. प्रति माह वृद्धि।

(ii) पेंशन आकलन के लिए पूर्व-परिभाषित फॉर्मूलों के अनुसार जहां कहीं भी पेंशन 1000 रुपये से कम हो रहा था, वहां अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके, दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रु. के न्यूनतम पेंशन का उपबंध।

(iii) उन सदस्यों के संदर्भ में, ऐसे विनियम किए जाने की तिथि से पंद्रह वर्ष पूरा होने के पश्चात, सामान्य पेंशन की बहाली, जिन्होंने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना जी.एस.आर.132(ई) के माध्यम से दिनांक 25.09.2008 पर अथवा उससे पूर्व ईपीएस, 1995 के भूतपूर्व अनुच्छेद 12क के तहत पेंशन के विनियमन का लाभ उठाया।

(ख): भारत संघ तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 12.10.2018 के निर्णय को चुनौती दी है, जिस के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में ईपीएस - 95 में वर्ष 2014 में किए गए संशोधनों को रद्द किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 की विशेष अनुमति याचिका (ग) सं. 8658-8659 एवं अन्य संबंधित मामलों में, अपने दिनांक 24.08.2021 के आदेश के माध्यम से, मामलों को कम से कम तीन न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया है। मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है।

(ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36), दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया था जिसमें 9 केन्द्रीय श्रम विधानों को समाहित किया गया है। ईपीएफ तथा एमपी अधिनियम, 1952 सहित नई संहिता की धारा 15 में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन सहित विभिन्न योजनाएं बनाने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, उक्त संहिता को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5604

06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कच्चे माल की उच्च लागत

5604. श्री गणेश सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे माल की उच्च लागत से भारतीय मिलों को अधिक खर्च करना पड़ता है और इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुशल मूलभूत निर्यात अवसंरचना, वित्त और विपणन सुविधाओं तथा नवोन्मेष आदि की कमी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयात शुल्क की घटी हुई दर भी एक चुनौती बन रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में श्रम कानून जटिल हैं और ओवरटाइम भुगतान की दर, भविष्य निधि और पेंशन निधि आदि में वैधानिक योगदान बहुत कम है तथा इस प्रकार उनकी कुल मजदूरी 45 प्रतिशत तक कम हो जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): कच्ची कपास सहित कच्ची सामग्री का मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों से संचालित होता है। कपास अंतर्राष्ट्रीय कारोबार वाली वस्तु होने के कारण इसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों के सापेक्ष परिवर्तित होता है।

(ख) तथा (ग): वस्त्र हेतु पीएलआई योजना, एमएमएफ तथा तकनीकी वस्त्र क्षेत्र जो देश में एक उभरता हुआ एक औद्योगिक क्षेत्र है, की कमियों को दूर करने, और वस्त्र उद्योग को आकार और पैमाना प्राप्त करने में सफल बनाने के लिए है ताकि यह प्रतिस्पर्धी बन सके। सरकार ने प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्वस्तरीय संरचना का विकास करने के लिए ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड क्षेत्रों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम-मित्र) पार्कों की स्थापना करने को भी अनुमोदित किया है। यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला हेतु एकीकृत व्यापक और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा का विकास करने के लिए है। यह लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनायेगी। यह योजना भारत को निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक वस्त्र बाजार में स्वयं को मजबूती से स्थापित करने में सहायक होगी।

इसके अलावा, सरकार प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए और अधिक रोजगार सृजन और निर्यात हेतु क्षमता रखने वाली वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जो स्वदेशी वस्त्र विनिर्माण के लिए अंतत: आर्थिक और लागत प्रोत्साहन निर्मित करेगी।

(घ): जी नहीं।

(ङ) और (च): भारत में श्रम कानून जटिल नहीं हैं। ओवरटाइम दर का प्रावधान कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत उपलब्ध है और भविष्य निधि और पेंशन निधि के अंशदान से संबंधित प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत उपलब्ध हैं।

*****